रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06032024-252656
CG-DL-E-06032024-252656

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 138] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 6, 2024/फाल्गुन 16, 1945
No. 138] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 6, 2024/PHALGUNA 16, 1945

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2024

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (धनीय शास्ति का अवधारण) मार्गदर्शक सिद्धांत, 2024

(2024 की सं. 01)

सं. बी-14011/1/2024-ऐटीडी-II.—भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 64(ख) के साथ पठित, धारा 64(ख)(1) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उद्यम(उद्यमों) और/या व्यक्तियों पर, अधिनियम के कोई उपबंधों के उल्लंघन के लिए उद्ग्रहणीय धनीय शास्ति का अवधारण करने के संबंध में, एतद्द्वारा निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत बनाता है, अर्थात्:-

अध्याय I

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.

1. (1) इन मार्गदर्शक सिद्धांतों का नाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (धनीय शास्ति का अवधारण) मार्गदर्शक सिद्धांत, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख 2024 से प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएं.

2. (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

क. "अधिनियम" से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) अभिप्रेत है;

ख. "सनदी लेखापाल" से अधिनियम की धारा 35 के स्पष्टीकरण (क) में यथापरिभाषित सनदी लेखापाल अभिप्रेत है;

ग. "आयोग" से अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अभिप्रेत है;

घ. "कम्पनी" से अधिनियम की धारा 48 के स्पष्टीकरण (क) में यथापरिभाषित कंपनी अभिप्रेत है;

ङ. "आय" से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (व्यापारावर्त या आय का अवधारण) विनियम, 2024 के अधीन यथाअवधारित आय अभिप्रेत है;

च. "अधिकतम वैध" से अधिनियम के संगत उपबंधों के अधीन उद्ग्रहणीय धनीय शास्ति की अधिकतम धनराशि अभिप्रेत है;

छ. "शास्ति" से अधिनियम के उपबंधों के कोई उल्लंघन के लिए उद्ग्रहणीय धनीय शास्ति अभिप्रेत है;

ज. "संगत व्यापारावर्त" से किसी उद्यम द्वारा उन उत्पादों के विक्रय और/या सेवाओं के उपबंध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पित व्यापारावर्त अभिप्रेत है जिनसे उल्लंघन संबंधित है और शास्ति के अधिरोपण के प्रयोजन के लिए अवधारित है;

झ. "उल्लंघन की पुनरावृत्ति" से किसी उद्यम या व्यक्ति द्वारा या तो अधिनियम के उसी उपबंध या कोई अन्य उपबंध का एक से अधिक बार किया गया उल्लंघन अभिप्रेत है।

ञ. "व्यापारावर्त" से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (व्यापारावर्त या आय का अवधारण) विनियम, 2024 के अधीन यथापरिभाषित व्यापारावर्त अभिप्रेत है;

ट. "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त ऐसे शब्दों और पदों का, जो परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होगा जो उनका, अधिनियम या नियम या तदधीन बनाये गये विनियम या कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में है।

अध्याय II

अधिनियम की धारा 27(ख) के अधीन उद्यमों के लिए शास्ति के अवधारण की कार्यपद्धति

3. (1) आयोग, किसी उउद्यम पर, अधिनियम की धारा 27(ख) के अधीन, अधिरोपित की जाने वाली शास्ति का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, आरंभ में, निम्नलिखित सभी या कोई कारक को ध्यान में रखते हुए उद्यम के यथास्थिति, औसत संगत व्यापारावर्त या औसत आय के तीस प्रतिशत तक की राशि विचार करेगा: -

क. उल्लंघन की प्रकृति और गंभीरता;

ख. उल्लंघन के कारण प्रभावित होने वाले उद्योग या सेक्टर की प्रकृति और अर्थव्यवस्था पर इसकी विवक्षा; और

ग. कोई अन्य कारक जो आयोग प्रत्येक मामले में तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे।

(2) आयोग, यथास्थिति, व्यापारावर्त या आय के संदर्भ में, प्रत्येक उद्यम पर, उपर्युक्त पैरा 3(1) में ऐसे अवधारित और अधिकतम वैध के अधीन, निम्नलिखित सभी या कोई कारक को ध्यान में रखते हुए राशि समायोजित करके शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, अर्थात्: -

क. ऐसे उल्लंघन में उद्यम के उल्लंघन करने की कालावधि और/या अंतर्वलिता की कालावधि;

ख. उल्लंघनकारी आचरण की योजना बनाने में उद्यम की भूमिका;

ग. उल्लंघन समझे जाने वाले आचरण या व्यवहार का प्रवर्तन करने के दृष्टिगत, उल्लंघन में भाग लेने में अन्य उद्यमों पर प्रपीड़क या प्रतिशोधात्मक अध्युपायों और/या अन्य उद्यम(उद्यमों) के विरुद्ध उठाए गए कोई प्रतिशोधात्मक अध्युपायों का अवलंब;

घ. उल्लंघन की पुनरावृत्ति;

ङ. उद्यम द्वारा उल्लंघन स्वीकार करना, यदि कोई हो, और वह प्रकम जिस पर ऐसी स्वीकृति की गई है;

च. उद्यम द्वारा यह स्थापित करने के लिए अकाट्य साक्ष्य देना कि उल्लंघन में उसकी अंतर्वलितता सारत: सीमित थी;

छ. महानिदेशक के अन्वेषण और/या आयोग के समक्ष कार्यवाही के दौरान उद्यम द्वारा सहयोग की सीमा;

ज. आयोग को सूचना देकर अभिकथित प्रतिस्पर्धा-रोधी आचरण का स्वैच्छिक पर्यवसान;

झ. उद्यम के भीतर प्रतिस्पर्धा अनुपालन कार्यक्रम का निर्वचन; और/या

ञ. कोई अन्य कारक, जिसे आयोग, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे।

(3) औसत संगत व्यापारावर्त या औसत आय के परिकलन के लिए, आयोग, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अधीन, उद्यम की उस वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष, जिसमें महानिदेशक की अन्वेषण रिपोर्ट आयोग प्राप्त करता है, से तीन वर्षों के संगत व्यापारावर्त या औसत आय पर विचार कर सकेगा।

यद्यपि, उपयुक्त मामलों में, आयोग, कारणों को लिखित में लेखबद्ध करके, उल्लंघन से पूर्ववर्ती तीन वर्षों के संगत व्यापारावर्त पर विचार कर सकेगा।

(4) व्यापारावर्त या आय या संगत व्यापारावर्त या कोई अन्य वित्तीय सूचना, जो आयोग द्वारा मांगी गई है, उद्यम के कानूनी संपरीक्षक, या उसकी अनुपस्थिति में, सनदी लेखापाल द्वारा प्रमाण पत्र की रीति से प्रस्तुत और उद्यम की वित्तीय विवरणकाओं पर हस्ताक्षर करने वाले कोई अधिकृत व्यक्ति द्वारा शपथपत्र द्वारा समर्थित, उद्यम के संपरीक्षित वित्तीय विवरणकाओं पर आधारित होगी।

(5) ऐसे मामले में, जहां संपरीक्षित वित्तीय विवरणिकाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां व्यापारावर्त या आय या संगत व्यापारावर्त या कोई अन्य वित्तीय सूचना, जो आयोग द्वारा मांगी गई है, उद्यम के कानूनी संपरीक्षक, या उसकी अनुपस्थिति में, सनदी लेखापाल द्वारा प्रमाणित, और इस संबंध में, उद्यम द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के शपथपत्र द्वारा समर्थित धनराशि होगी।

(6) जहां उपर्युक्त पैरा 3(3) के अधीन, संगत व्यापारावर्त का अवधारण संभव नहीं है, वहां आयोग, उपर्युक्त पैरा 3(1) के अधीन शास्ति की धनराशि का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए सभी उत्पादों और सेवाओं से व्युत्पित, वैश्विक व्यापारावर्त पर विचार कर सकेगा।

(7) यदि, आयोग के विचार में, ऐसे अवधारित शास्ति की धनराशि अपमार्जकता सृष्ट करने में पर्याप्त नहीं है, तो आयोग, अधिकतम वैध के अधीन, शास्ति की धनराशि और बढ़ा सकेगा।

अध्याय III

अधिनियम की धारा 27(ख) के परंतुक के अधीन शास्ति के अवधारण की कार्यपद्धति

4. (1) ऐसे मामलों में, जहां उद्यम द्वारा उल्लंघन, उत्पाद संघ द्वारा किये गये प्रतिस्पर्धा-रोधी करार से संबद्ध है, वहां आयोग, अधिनियम की धारा 27 (ख) के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

(2) अधिनियम की धारा 27(ख) के उपबंधों के अधीन, शास्ति अवधारित करने के लिए, करोपरांत लाभ पर विचार किया जाएगा।

(3) इस संबंध में विनिश्चय लेते समय, आयोग इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के पैरा 3(2) में उल्लिखित सभी या कोई कारक पर उचित ध्यान देगा।

अध्याय IV

अधिनियम की धारा 48(ख) के अधीन दायी व्यक्तियों के लिए शास्ति के अवधारण की कार्यपद्धति

5. (1) आयोग, यथास्थिति, अधिनियम की धारा 48(1) या 48(3) के अधीन, व्यक्तियों पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो व्यक्ति के विगत तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए औसत आय के 10 प्रतिशत से अनधिक होगी।

(2) दिये गये मामले में विचार किये जाने वाली औसत आय के प्रतिशत का अवधारण करने में, आयोग, निम्नलिखित सभी या कोई कारक पर उचित ध्यान देते हुए करेगा:-

क. कंपनी द्वारा उल्लंघन करने की प्रकृति और गंभीरता, जिसके आचरण के लिए ऐसा व्यक्ति, अधिनियम की धारा 48 के अधीन दायी ठहराया गया है;

ख. उल्लंघनकारी आचरण में ऐसे व्यक्ति की अंतर्वलिता की भूमिका, सीमा और कालावधि;

ग. महानिदेशक के अन्वेषण या आयोग की कार्यवाही के दौरान व्यक्ति द्वारा सहयोग की सीमा;

घ. उल्लंघन की पुनरावृत्ति;

ङ. यह दर्शाने वाले अकाट्य साक्ष्य प्रस्तुत करना कि उल्लंघन में उसकी अंतर्वलिता सारत: सीमित थी; और/या

च. कोई अन्य कारक, जिसे आयोग, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे।

(3) व्यक्ति की औसत आय का अवधारण करने के लिए, आयकर अधिनियम, 1961 और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन दाखिल आयकर विवरणी के अनुसार, सकल कुल आय पर विचार किया जाएगा। ऐसी सकल कुल आय में अपवर्जित होगी: (क) गृह संपत्ति से आय; और (ख) पूंजीगत लाभ से आय। आगे, आयोग, उस व्यक्ति के उसी वर्ष की आयकर विवरणी पर विचार करेगा, जिस वर्ष, कंपनी के आचरण के लिए ऐसा व्यक्ति दायी ठहराया गया है।

(4) जहां व्यक्ति का, ऐसी अवधि या वर्षों की आयकर विवरणी उपलब्ध नहीं है, वहां ऐसे व्यक्ति द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित, शपथ पत्र द्वारा समर्थित कुल आय पर विचार किया जाएगा।

(5) ऐसे मामलों में, जहां उल्लंघन, उत्पाद संघ द्वारा किए गए प्रतिस्पर्धा-रोधी करार से संबंधित है वहां आयोग, व्यक्ति पर, यथास्थिति, अधिनियम की धारा 48(1) या धारा 48(3) के उपबंधों के अनुसार, इन दिशानिर्देशों के पैरा 5(2) में उल्लिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए शास्ति उद्ग्रहण कर सकेगा।

अध्याय V

अधिनियम की धारा 43क के अधीन धनीय शास्ति के अवधारण की कार्यपद्धति

6. (1) आयोग, ऐसे व्यक्ति या उद्यम पर, जो अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन, संयोजन की सूचना देने में असफल रहता है या अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2क) का उल्लंघन करता है या अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन, जांच के अनुसरण में सूचना प्रस्तुत करता है, शास्ति उद्ग्रहण कर सकेगा जो ऐसे संयोजन के कुल कारबार या आस्ति या अधिनियम की धारा 5 के खंड (घ) में उल्लिखित संव्यवहार के मूल्य, जो भी अधिक हो, का एक प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकेगी।

(2) आयोग, अधिनियम की धारा 43क के अधीन, उद्ग्रहीत की जाने वाली शास्ति की धनराशि का अवधारण करते समय, निम्नलिखित सभी या कोई कारक को ध्यान में रखेगा, अर्थात्: -

क. सूचना दिये बिना संयोजन का उपभोग या आंशिक उपभोग;

ख. अधिनियम की धारा 6(2क) के अधीन, आयोग के समक्ष, सूचना दाखिल करने से पूर्व या पश्चात ठहराव दायित्वों (सारभूत या प्रक्रियात्मक) का अतिक्रमण;

ग. अधिनियम की धारा 20(1) के अधीन पूछताछ के दौरान जानकारी न देना;

घ. आयोग के समक्ष स्वैच्छिक रूप से सूचना दाखिल करना;

ङ. पक्षकारों का आचरण, इसमें स्वैच्छिक प्रकटन करना, जांच के दौरान सहयोग, आयोग द्वारा मांगी गई सूचना के प्रत्युत्तर में सभी अपेक्षित सामग्री या दस्तावेज प्रस्तुत करना भी सम्मिलित है; और/या

च. कोई अन्य कारक, जिसे आयोग, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे।

अध्याय VI

अधिनियम की धारा 42, 43, 44 और 45 के अधीन, धनीय शास्ति के अवधारण की कार्यपद्धति

7. (1) अधिनियम की धारा 42, 43, 44 और 45 के अधीन, किसी व्यक्ति पर अधिरोपित की जाने वाली शास्ति का अवधारण करने में, आयोग, उदग्रहणीय न्यूनतम और अधिकतम शास्ति पर, अधिनियम के संबंधित उपबंध के अनुसार विचार करेगा।

(2) शास्ति की धनराशि अवधारित करते समय, आयोग, निम्नलिखित सभी या कोई कारक को ध्यान में रखेगा, अर्थात्: -

क. अननुपालन या असहयोग की सीमा और कारण;

ख. भ्रामक सूचना की प्रकृति;

ग. इसके बारे में सूचना देने वाले व्यक्ति के अनुपयोगी या अपूर्ण होने का ज्ञान;

घ. उल्लंघन की पुनरावृत्ति;

ङ. कोई अन्य कारक, जिसे आयोग, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे।

अध्याय VII

आयोग की अवशिष्ट शक्तियां

8. (1) शास्ति की धनराशि का अवधारण करने की साधारण पद्धति में किसी बात के होते हुए भी, आयोग, दिए गए मामले की विशिष्टियों पर विचार करके और असाधारण परिस्थितियों में, इन मार्गदर्शक सिद्धांतों का अपयोजन कर सकेगा।

(2) धारा 27(ख), धारा 43क और धारा 48 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने की साधारण पद्धति से कोई विचलनता के मामले में, ऐसे विचलन का कारण(कारणों को) लिखित में, लेखबद्ध किया जा सकेगा।

(3) अधिनियम की धारा 46 के संबंध में शास्ति की धनराशि में कोई अपचयन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (निम्नतर शास्ति) विनियम, 2024 द्वारा निर्देशित होगी।

अनुपमा आनंद, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./805/2023-24]

THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2024

The Competition Commission of India (Determination of Monetary Penalty) Guidelines, 2024

(No. 01 of 2024)

No. B-14011/1/2024-ATD-II.—In exercise of the powers conferred by Section 64B(1) read with Section 64B(3) of the Competition Act, 2002, the Competition Commission of India hereby makes the following guidelines with respect to the determination of monetary penalty to be levied on the enterprise(s) and/or persons, for any contravention of the provisions of the Act, namely:-

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short Title and Commencement

(1) These guidelines may be called The Competition Commission of India (Determination of Monetary Penalty) Guidelines, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions

(1) In these guidelines, unless the context otherwise requires:

a. "Act" means the Competition Act, 2002 (12 of 2003);

b. "Chartered Accountant" means a chartered accountant as defined in Explanation (a) to Section 35 of the Act;

c. "Commission" means the Competition Commission of India established under sub-section (1) of Section 7 of the Act;

d. "Company" means a company as defined in Explanation (a) to Section 48 of the Act;

e. "Income" means the income as determined under the Competition Commission of India (Determination of Turnover or Income) Regulations, 2024;

f. "legal maximum" is the maximum amount of monetary penalty leviable under the relevant provisions of the Act;

g. "penalty" means the monetary penalty leviable for any contravention of the provisions of the Act;

h. "relevant turnover" means the turnover derived by an enterprise directly or indirectly from the sale of products and/or provision of services, to which the contravention relates and determined for the purposes of imposition of penalty;

i. "repeated contravention" means contravention by an enterprise or a person more than once, either of the same provision or any other provision of the Act;

j. "turnover" means turnover as defined under the Competition Commission of India (Determination of Turnover or Income) Regulations, 2024;

k. "year" means financial year.

(2) Words and expressions used but not defined in these guidelines shall have the same meanings as assigned to them in the Act or the rules or regulations framed thereunder or in the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

CHAPTER II

METHODOLOGY FOR DETERMINATION OF PENALTY FOR ENTERPRISES UNDER SECTION 27(b) OF THE ACT

3. (1) The Commission, to begin with, would consider, having due regard to all or any of the following factors, an amount up to thirty percent of the average relevant turnover or average income, as the case may be, of the enterprise for the purpose of determination of penalty to be imposed on an enterprise under Section 27(b) of the Act: -

a. nature and gravity of the contravention;

b. nature of the industry or sector affected because of the contravention and its implications on the economy; and/or

c. any other factor which the Commission may deem appropriate in the facts and circumstances of each case.

(2) The Commission may impose penalty by adjusting the amount so determined in paragraph 3(1) subject to the legal maximum, on each enterprise in terms of turnover or income, as the case may be, having due regard to all or any of the following factors, namely: -

a. duration of the contravention and/ or duration of involvement of the enterprise in such contravention;

b. role of the enterprise in orchestrating the contravening conduct;

c. recourse to coercive or retaliatory measures on other enterprises to participate in the contravention and/ or any retaliatory measures taken against other enterprise(s) with a view to enforcing the conduct or practices constituting the contravention;

d. repeated contravention;

e. admission of contravention, if any, by the enterprise and the stage at which such admission is made;

f. furnishing of cogent evidence by the enterprise establishing that its involvement in the contravention was substantially limited;

g. extent of cooperation by the enterprise during the Director General's investigation and/ or proceedings before the Commission;

h. voluntary termination of alleged anti-competitive conduct, under intimation to the Commission;

i. implementation of a competition compliance programme within the enterprise; and/ or

j. any other factor which the Commission may deem appropriate in the facts and circumstances of each case.

(3) For calculating average relevant turnover or average income, the Commission, subject to the facts and circumstances of each case, may consider the relevant turnover or income of three years of the enterprise preceding the year in which the Director General's investigation report is received by the Commission.

Provided that, in appropriate cases, for the reasons to be recorded in writing, the Commission may consider the relevant turnover of three years preceding the contravention.

(4) Turnover or income or relevant turnover or any other financial information, as sought by the Commission, shall be based on the audited financial statements of the enterprise furnished by way of a certificate from a statutory auditor of the enterprise, or in his absence by a Chartered Accountant, and supported by an affidavit by a person duly authorised by the enterprise in this regard.

(5) In case audited financial statements are not available, turnover or income or relevant turnover or any other financial information, as sought by the Commission, shall be the amount certified by the statutory auditor of the enterprise, or in his absence by a Chartered Accountant, and supported by an affidavit by a person duly authorised by the enterprise in this regard.

(6) Where the determination of relevant turnover is not feasible under paragraph 3(3) above, the Commission may consider the global turnover, derived from all products and services, for the purpose of determination of amount of penalty under paragraph 3(1) above.

(7) If, in view of the Commission, the amount of penalty so determined is not sufficient to create deterrence, the Commission may, further increase the amount of penalty, subject to the legal maximum.

CHAPTER III

METHODOLOGY FOR DETERMINATION OF PENALTY UNDER PROVISO TO SECTION 27(b) OF THE ACT

4. (1) In cases where the contravention by an enterprise pertains to an anti-competitive agreement entered into by a cartel, the Commission may impose penalty in terms of proviso to Section 27(b) of the Act.

(2) For determining penalty under proviso to Section 27(b) of the Act, profit after tax shall be considered.

(3) While taking a decision in this regard, the Commission may have due regard to all or any of the factors mentioned in paragraph 3(2) of these guidelines.

CHAPTER IV

METHODOLOGY FOR DETERMINATION OF PENALTY FOR PERSONS LIABLE UNDER SECTION 48 OF THE ACT

5. (1) The Commission may impose penalty on persons, under Section 48(1) or 48(3) of the Act, as the case may be, which shall not be more than ten percent of the average income of the person for the last three preceding financial years.

(2) In determining the percentage of the average income to be considered in a given case, the Commission may have due regard to all or any of the following factors: -

a. nature and gravity of contravention by the company, for whose conduct such person has been held liable under Section 48 of the Act;

b. role, extent and duration of involvement of such person in the contravening conduct;

c. extent of cooperation by the person during the Director General's investigation or the Commission's proceedings;

d. repeated contravention;

e. furnishing of cogent evidence showing that his or her involvement in the contravention was substantially limited; and/ or

f. any other factor which the Commission may deem appropriate in the facts and circumstances of each case.

(3) For determining the average income of the person, the gross total income as per the income tax returns filed under the Income Tax Act, 1961 and rules framed thereunder shall be considered. Such gross total income would exclude: (a) income from house property; and (b) income from capital gains. Further, the Commission shall consider income tax returns of the person for the same years as that of the company for whose conduct such person has been held liable.

(4) Where income tax returns of the person for such period or years are not available, the total income as certified by a Chartered Accountant, supported by way of an affidavit by such person, shall be considered.

(5) In cases where the contravention pertains to an anti-competitive agreement entered into by a cartel, the Commission may levy penalty on a person in terms of proviso to Section 48(1) or Section 48(3) of the Act, as the case may be, with due regard to factors mentioned at paragraph 5(2) of these guidelines.

CHAPTER V

METHODOLOGY FOR DETERMINATION OF MONETARY PENALTY UNDER SECTION 43A OF THE ACT

6. (1) The Commission may levy penalty on a person or enterprise who fails to give notice of combination under sub-section (2) or sub-section (4) of Section 6 of the Act or contravenes sub-section (2A) of Section 6 of the Act or submits information pursuant to an inquiry under sub-section (1) of Section 20 of the Act, which may extend to one percent of the total turnover or assets or the value of transaction referred to in clause (d) of Section 5 of the Act, whichever is higher, of such a combination.

(2) The Commission, while determining the amount of penalty to be imposed under Section 43A of the Act, may have due regard to all or any of the following factors, namely: -

a. consummation or part consummation of combination without giving notice;

b. violation of standstill obligations (substantive or procedural) prior to or after filing notice with the Commission under Section 6(2A) of the Act;

c. non-furnishing of information during an inquiry under Section 20(1) of the Act;

d. voluntary filing of notice with the Commission;

e. conduct of the parties including making voluntary disclosures, cooperation during the inquiry, furnishing all requisite material or documents in response to the information sought by the Commission; and/ or

f. any other factor which the Commission may deem appropriate in the facts and circumstances of each case.

CHAPTER VI

METHODOLOGY FOR DETERMINATION OF MONETARY PENALTY UNDER SECTIONS 42, 43, 44 AND 45 OF THE ACT

7. (1) In determination of penalty to be imposed on a person under Sections 42, 43, 44 and 45 of the Act, the Commission shall consider the minimum and maximum penalty leviable as per the respective provision of the Act.

(2) While determining the amount of penalty, the Commission may have due regard to all or any of the following factors, namely: -

a. extent and reasons of non-compliance or non-cooperation;

b. nature of misleading information;

c. knowledge of the person furnishing the information about the same being untrue or incomplete;

d. repeated contravention; and/or

e. any other factor which the Commission may deem appropriate in the facts and circumstances of each case.

CHAPTER VII

RESIDUARY POWERS OF THE COMMISSION

8. (1) Notwithstanding the general methodology for determining the amount of penalty, considering the particularities of a given case and in exceptional circumstances, the Commission may divert from these guidelines.

(2) In case of any divergence from general methodology for imposition of penalty under Section 27(b), Section 43A and Section 48, the reason(s) for such divergence shall be recorded in writing.

(3) Any reduction in the penalty amount with respect to Section 46 of the Act would be guided by the Competition Commission of India (Lesser Penalty) Regulations, 2024.

ANUPAMA ANAND, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./805/2023-24]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.03.06 18:19:21 +05'30'